पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः– 7817 दिनांकः– 17.05.2018

विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 17.05.2018 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 17.05.2018 को कुलपति सचिवालय में दोपहर 02:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रहीः–

1.	डॉ. बी.एल. शर्मा	अध्यक्ष (माननीय कुलपति)
2.	डॉ. शशिकांत शर्मा	मा. सदस्य
3.	डॉ. डी.एस. थालौड़	मा. सदस्य
4.	डॉ. भवानी शंकर शर्मा	मा. सदस्य
5.	डॉ. राकेश कुमार	मा. सदस्य
6.	डॉ. राजेन्द्र सिंह	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम मा. कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये –

एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: गत बैठक दिनांक 04.12.2017 के कार्यवृत का अनुमोदन।

निर्णयः सर्वानुमति से दिनांक 04.12.2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 28.03.2018 के टेबल एजेण्डा/निर्णय बिन्दु संख्या 03 में डॉ. जी. एस. कलवानिया समिति द्वारा प्रस्तुत "Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University (Recruitment and Paper Pattern) Regulation, 2018" के संशोधित प्रारूप का अनुमोदन।

निर्णयः सर्वानुमति से पूर्व में प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 28.03.2018 के टेबल एजेण्डा निर्णय संख्या 03 के अनुसार पूर्व में पारित Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University (Recruitment and Paper Pattern) Regulation, 2018 को प्रस्तावित संशोधनों के साथ निम्न स्वरूप में पारित किया जाता है:

संलग्नक 1: Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University (Recruitment and Paper Pattern) (Amended) Regulation, 2018

एजेण्डा बिन्दु संख्या 03: विश्वविद्यालय में प्रस्तावित शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु समिति (संकायाध्यक्षों एवं संबंधित विषयों के विषय–विशेषज्ञों) द्वारा प्रस्तुत विषय–विशेषज्ञों के पैनल पर विचार पश्चात अनुमोदन।

निर्णय: सर्वानुमति से विश्वविद्यालय में प्रस्तावित शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु समिति द्वारा प्रस्तुत विषय–विशेषज्ञों के पैनल को The Rajasthan Universities Teachers and Officers (Selection for Appointment) Act No. 18 of 1974 की अनुसूची संख्या 1 क्रम संख्या 3 की प्रविष्टि संख्या (iii) के प्रावधानों की संतुष्टि हेतु निम्न विवरणानुसार अनुमोदित किये जाते हैं।

संलग्नक 02: विषय–विशेषज्ञ पैनल वनस्पति शास्त्र

संलग्नक 03: विषय–विशेषज्ञ पैनल वाणिज्य

संलग्नक 04: विषय–विशेषज्ञ पैनल अर्थशास्त्र एवं डवलपमेन्टल स्टडीज

संलग्नक 05: विषय–विशेषज्ञ पैनल हिन्दी

संलग्नक 06: विषय–विशेषज्ञ पैनल विधि

संलग्नक 07: विषय–विशेषज्ञ पैनल संस्कृत

संलग्नक 08: विषय–विशेषज्ञ पैनल प्राणी शास्त्र

एजेण्डा बिन्दु संख्या 04: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

1. **विश्वविद्यालय में प्रस्तावित शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा के पाठ्यक्रमों पर चर्चा एवं अनुमोदन।**

निर्णय: सर्वानुमति से विश्वविद्यालय में प्रस्तावित शैक्षणिक पदों पर भर्ती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा के पाठ्यक्रमों को निम्न स्वरूप में अनुमोदित किया जाता है:

संलग्नक 09: विषय– वनस्पति शास्त्र पाठ्यक्रम

संलग्नक 10: विषय– वाणिज्य पाठ्यक्रम

संलग्नक 11: विषय– अर्थशास्त्र एवं डवलपमेन्टल स्टडीज पाठ्यक्रम

संलग्नक 12: विषय– हिन्दी पाठ्यक्रम

संलग्नक 13: विषय– विधि पाठ्यक्रम

संलग्नक 14: विषय– संस्कृत पाठ्यक्रम

संलग्नक 15: विषय– प्राणी शास्त्र पाठ्यक्रम

नोट: चूंकि प्रोफेसर/सह–प्रोफेसर एवं सहायक प्रोफेसर में शैक्षणिक न्यूनतम योग्यता एक ही है तथा पाठ्यक्रम का स्तर स्नातकोत्तर स्तर का होता है, अतः यह पाठ्यक्रम उक्त तीनों पदों के लिए निर्धारित स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए एक ही होगा। यह भी निर्धारित किया गया है कि विश्वविद्यालय का यह स्वविवेक होगा कि उक्त तीनों पदों के लिए एक ही प्रश्न–पत्र के आधार पर कॉमन परीक्षा आयोजित करवा सकता है।

कुलसचिव द्वारा मा. सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव